# प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 17.11.2021

## 03 जुआरी गिरफ्तार, 52 अदद ताश के पत्ते व 1,520/– रुपये नकद बरामद (थाना पट्टी)

जनपद के थाना पट्टी से उ0नि0 श्री एस0एम0 कासिम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के मेला परिसर के पास से 03 व्यक्तियों को ताश के पत्तों से हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1,520/– रुपये नकद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 428/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–**

1. रवी कुमार पुत्र नन्दलाल नि0 नई कालोनी बाबागंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
2. हनी चौरसिया पुत्र सूर्य प्रकाश चौरसिया नि0 सदर तहसील के सामने, हादीहाल थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।
3. शुभ अग्रवाल उर्फ चन्दू अग्रवाल पुत्र श्याम अग्रवाल नि0 चौक बजाज श्याम बिहारी गली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

**पुलिस टीम–** उ0नि0 श्री एस0एम0 कासिम मय हमराह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

## 25,000/– रू0 का इनामियां एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

**जनपद के थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/21 धारा 323, 386, 392, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुजीत प्रताप सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 डालूपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर की तलाश की जा रही थी। कल** दिनांक 16.11.2021 को निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिह, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट वाराणसी मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर जनपद के थानाक्षेत्र पट्टी के आमापुर चौराहे के पास मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 25,000/–रू0 के इनामियां वांछित अभियुक्त सुजीत प्रताप सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 डालूपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–**

**01** सुजीत प्रताप सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 डालूपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

**पुलिस टीम–** निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिह मय टीम, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट वाराणसी।

**<u>30 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार (थाना हथिगवां)</u>**

आबकारी निरीक्षक श्री पीयूष विक्रम मय हमराह व थाना हथिगवां के उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र हथिगवां के मेहरबान का पुरवा, नौबस्ता से 02 अभियुक्ताओं 01. मंगीता देवी पत्नी वीरेन्द्र सरोज 02. गुड्डी देवी पत्नी रोशनलाल नि0गण मेहरबान का पुरवा, नौबस्ता थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को 15–15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दोनो अभियुक्ताओं के विरूद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 228/21 व मु0अ0सं0 229/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।